भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1368
(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनियों द्वारा कल्याणकारी क्रियाकलाप

1368. श्री के. परसुरमनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण, कला और संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा झेली जा रही असमानताओं को कम करने और अन्य लोगों के साथ-साथ महिलाओं तथा अनाथों के लिए आवासों और छात्रावासों की स्थापना करने में अधिक सक्रिय भागीदारी करने के संबंध में कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या कारपोरेट के माध्यम से एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों का आबंटन नहीं करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135(3) और (4) में कंपनी के बोर्ड और इसकी सीएसआर समिति को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदों के लिए सीएसआर निधियों के आबंटन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सीएसआर व्यय का क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.02.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1368 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/ सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3	ग्रामीण विकास	1,031.02	1,327.57	628.56
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/ असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि	211.04	206.08	109.81
9	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12	निर्मल गंगा निधि	4.64	32.52	22.97
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****